मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2011 (फाल्गुन 24, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 6 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 119 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 133 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

(सहकारी समितियों द्वारा अपात्रों को लाभ देने विषयक प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 4829) पर श्री आरिफ अकील, सदस्य शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आए, तथा कुछ समय पश्चात् आसंदी के निर्देश पर वापस आसन पर गए,। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके, सदस्य की घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.69 की हालत जर्जर होने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की इंदौर के ग्राम सिरपुर में अवैध निर्माण हटाये जाने,
(3) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की परसवाड़ा के ग्राम बासी में सड़क निर्माण में लगे मजदूरों का भुगतान न होने,
(4) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की चांदला की ग्राम पंचायत बिलहरी में सी.सी. रोड न होने,
(5) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की मण्डला के ग्राम उकवा तथा बिरसा के किसानों के राजस्व प्रकरण न बनाये जाने,
(6) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा के सेमरिया में पेयजल समस्या होने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना के ग्राम देवरा की शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने,
(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के सांई नगर में गरीबों को आवास हेतु कम भूमि दी जाने,
(9) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल संकट होने तथा
(10) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल में नर्मदा जल की पाईप लाईन बिछाई जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं।

3. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले में बाणसागर परियोजना की नहर के निर्माण में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य ने सतना जिले के न्यू रामनगर में जल संसाधन विभाग द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) प्राथमिक अस्पताल में डॉक्टर की पदस्थापना किये जाने,

(ख) ग्राम नवागांव में हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम फतेहपुर एवं शाहपुर के मध्य सीप नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने तथा

(घ) ग्राम चन्द्रपुरा में हाई स्कूल खोले जाने,

(2) श्री भैयाराम पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम खुलरी से ढाड़िया मार्ग निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम हीरापुर के मिडिल स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम बिलेहरा के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने तथा

(घ) ग्राम सिहोरा के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(3) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम नादनेर से मिढ़वानी तक सड़क निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजना में किये जाने तथा

(ख) ग्राम नादनेर में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(4) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) सिरमोर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाने,

(ख) ग्राम तिलखन में शासकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम हरदोली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने तथा

(घ) ग्राम बैकुन्ठपुर के शासकीय कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(5) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) ग्राम नांदी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने तथा

(ख) ग्राम मोरगढ़ में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

(6) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्होरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने तथा

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के ग्राम नरवानी में स्टाप डेम निर्माण किये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

6. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)

(7) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 10 वन के लिए एक हजार दो सौ तैंतीस करोड़, उनतीस लाख, तैंतीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 10	1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री अलकेश आर्य
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी
(5) श्री ब्रजराज सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(6) श्री धूल सिंह डाबर

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में अधिकांश मंत्रियों की अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष महोदय का ध्यानाकर्षित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय ने अनुदान मांगों पर महत्वपूर्ण चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्री को सदन में माननीय मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया.)

(7) श्री पारस सकलेचा
(8) श्रीमती रेखा
(9) श्रीमती सुलोचना रावत
(10) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(11) श्री नारायण सिंह पट्टा
(12) श्री मानवेन्द्र सिंह
(13) श्री संतोष जोशी
(14) श्री श्रीकांत दुबे
(15) श्री सुखदेव पांसे
(16) श्री रणजीत सिंह गुणवान

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए एक हजार सात सौ इक्यासी करोड़, चौरानवे लाख, पांच हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 28	राज्य विधान मंडल के लिए अड़तालीस करोड़, बावन लाख, आठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य के लिए पांच सौ इकसठ करोड़, बासठ लाख, इकतीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 19	2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 31,
मांग संख्या - 28	1, 2, 3, 5, 6
मांग संख्या - 29	1, 3, 6, 8

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बालाराम बच्चन
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटैरिया) पीठासीन हुईं।

(5) श्रीमती साधना स्थापक
(6) श्री अंतर सिंह आर्य

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(7) श्री पारस सकलेचा
(8) श्री के.पी. सिंह
(9) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(10) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(11) श्री ताराचंद बावरिया
(12) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(13) श्री सुदर्शन गुप्ता
(14) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(15) श्री राधेश्याम पाटीदार
(16) श्री लखन घनघोरिया
(17) श्रीमती उमादेवी खटीक
(18) श्री श्रीकांत दुबे
(19) श्रीमती ललिता यादव
(20) श्री रामलाल मालवीय
(21) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(22) श्री राजेश कुमार वर्मा
(23) डॉ. गोविन्द सिंह

(24) श्री रामनिवास रावत
(25) श्री ब्रजराज सिंह
(26) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(27) श्री सुदामा सिंह सिग्राम
(28) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(9) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण के लिए नौ सौ उनतालीस करोड़,अड़तालीस लाख, चौदह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए तीन हजार छह सौ छिहत्तर करोड़, पन्द्रह लाख, तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए साठ करोड़, सत्तावन लाख, चौहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए दो हजार चार सौ बयासी करोड़, छियासी लाख, उनसठ हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 33	1, 3, 4, 5, 6, ,8, 10, 11, 13, 14
मांग संख्या - 41	1, 4, 6, 8, 9
मांग संख्या - 49	2, 3, 5, 6, 7, 8, 14
मांग संख्या - 64	2, 3, 4

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्री अंतर सिंह आर्य
(3) श्री लक्ष्मण तिवारी
(4) श्री बालाराम बच्चन
(5) श्री धूल सिंह डाबर
(6) श्री जेबियर मेड़ा
(7) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(8) श्री रामलाल मालवीय
(9) श्री राधेश्याम पाटीदार
(10) श्री रामनिवास रावत

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(11) श्री खटीक रमेश प्रसाद
(12) श्री नारायण सिंह पट्टा
(13) श्रीमती उमादेवी खटीक
(14) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके
(15) श्रीमती सुलोचना रावत
(16) श्री सुदामा सिंह सिग्राम
(17) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(18) श्री रामलखन सिंह
(19) श्री बृजमोहन धूत
(20) श्री मदन कुशवाह

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से माननीय मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 8.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011 (फाल्गुन 25, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 15 मार्च, 2011